



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.जेड.-अ.-19052026-272675
CG-MZ-E-19052026-272675

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]
No. 315]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

क्षेत्रीय पैरामेडिकल और नर्सिंग विज्ञान संस्थान
अधिसूचना

आइजोल, 24 अप्रैल, 2026

फ़ा. सं. A.12032/1/2026-Estt/RIPANS/ 12 — संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पत्र सं. F.No.U-12012/08/2025-H-III दिनांक 16.01.2026 के माध्यम से अनुमोदित, राष्ट्रपति एतद्वारा क्षेत्रीय पैरामेडिकल और नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजोल (जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है) में निम्नलिखित समूह A, B और C पदों पर भर्ती की विधि को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जो इस प्रकार हैं :-

क्र. सं.	पद का नाम
1.	चिकित्सा अधीक्षक
2.	विशेषज्ञ चिकित्सक
3.	चिकित्सा अधिकारी
4.	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी
5.	नर्सिंग अधिकारी
6.	बायो-मेडिकल इंजीनियर

7.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी
8.	सीएसएसडी सहायक ग्रेड-I
9.	सीएसएसडी सहायक ग्रेड-II
10.	ओटी टेक्नोलॉजिस्ट
11.	फार्मासिस्ट
12.	आहार विशेषज्ञ
13.	फिजियोथेरेपिस्ट

1. लघु शीर्षक एवं प्रवर्तन :-

1.1. इन नियमों को क्षेत्रीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजोल, मिजोरम, समूह A, B और C पदों की भर्ती नियमावली, 2026 कहा जा सकता है।

1.2. ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. पे-मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर:-

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स का स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में निर्दिष्ट किया जाएगा।

3. भर्ती की विधि, आयु सीमा, अन्य योग्यताएँ आदि:

उक्त पद से संबंधित भर्ती की विधि, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताएँ तथा अन्य विषय, उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में निर्दिष्ट किए जाएंगे।

4. अयोग्यता: -

कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह संबंध स्थापित किया है, जिसकी पहले से ही पत्नी/पति जीवित है, या

(ख) जिसके अपने जीवनसाथी के जीवित रहते हुए उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह संबंध स्थापित किया है,

उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यह कि, यदि आरआईपीएनएस इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत अनुमेय है तथा इसके लिए अन्य उचित आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रावधानों से छूट दे सकता है।

5. व्याख्या: -

यदि इन नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या को लेकर कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो उस विषय को नियुक्ति प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

6. छूट देने की शक्ति :

जहाँ आरआईपीएनएस की विधिवत् गठित चयन समिति का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए, अनुसूची में उल्लिखित किसी भी पद के वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में शिथिलीकरण कर सकती है। परंतु, ऐसा शिथिलीकरण नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगा।

7. उपबंधों का संरक्षण: -

इन नियमों में निहित कोई भी प्रावधान, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों से संबंधित अभ्यर्थियों को, समय-समय पर इस संबंध में केंद्र सरकार

द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलीकरण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या प्रत्यक्ष भर्ती हेतु आयु सीमा	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन या अचयन पद	प्रत्येक भर्ती हेतु आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
चिकित्सा अधीक्षक	कार्यभार के आधार पर इसमें बदलाव संभव है।	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13	पदोन्नति के मामले में चयन	अधिमानत: 50 वर्ष से कम। सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार, 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधि: चाहे सीधी भर्ती हो, या पदोन्नति द्वारा, अथवा समायोजन द्वारा; तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
7	8	9	10
शैक्षणिक योग्यता: 1. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की तीसरी अनुसूची के भाग I या II या भाग II में शामिल कोई मान्यता प्राप्त MBBS डिग्री योग्यता। तीसरी अनुसूची के भाग-II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13(3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। 2. कोई स्नातकोत्तर योग्यता, यानी MD/MS, या किसी भी चिकित्सा विषय में इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त योग्यता। 3. उम्मीदवार के पास केंद्रीय/राज्य चिकित्सा परिषद के साथ वैध पंजीकरण होना चाहिए। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त	आयु: नहीं शैक्षिक योग्यता: हाँ	सीधी भर्ती वालों के लिए 1 वर्ष	पदोन्नति द्वारा; यदि यह संभव न हो, तो प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा; और यदि ये दोनों भी संभव न हों, तो सीधी भर्ती द्वारा।

संस्थान/विश्वविद्यालय से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री, या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त योग्यता।			
अनुभव: संबंधित विशेषज्ञता में पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता प्राप्त करने के बाद शिक्षण और/या अनुसंधान का 10 वर्षों का अनुभव, जिसमें से 3 वर्ष PG डिग्री प्राप्त करने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में होने चाहिए।			

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
11	12	13
पदोन्नति: पे लेवल 11 में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके विशेषज्ञ डॉक्टर, जिनके पास ऊपर कॉलम 7 में बताई गई आवश्यक योग्यता और अनुभव हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त संगठनों/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: क. 1. मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करना; या 2. पे मैट्रिक्स के लेवल 12 या मूल कैडर/विभाग में इसके समकक्ष स्तर पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा पूरी की हो; या 3. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा के साथ और ख. कॉलम 7 में बताए गए सीधे भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित उचित योग्यताएं और अनुभव होना चाहिए। नोट: प्रतिनियुक्ति (ISTC) की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में, इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य 'एक्स-कैडर' पद पर बिताई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, आमतौर पर पाँच वर्ष से अधिक नहीं	1. स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक - अध्यक्ष 2. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) द्वारा नामित प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो - सदस्य 3. केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (CHS) का एक प्रतिनिधि, जो चिकित्सा अधीक्षक* के पद से नीचे का न हो - सदस्य 4. SC/ST का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सह-विकल्पित सदस्य, जो प्रोफेसर* के पद से नीचे का न हो - सदस्य 5. संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ* - सदस्य 6. निदेशक, आर.आई.पी.ए.एन.एस. - सदस्य सचिव (*निदेशक, आर.आई.पी.ए.एन.एस. द्वारा नामित किए जाने हैं)	लागू नहीं

होगी। प्रतिनियुक्ति (ISTC) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		
---	--	--

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
विशेषज्ञ डॉक्टर (मेडिसिन-2, सर्जरी-2, बाल रोग-2, OBGY-2, एनेस्थीसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर-2, नेत्र रोग-1, हड्डी रोग-1, रेडियोलॉजी-1, ENT-1, दंत चिकित्सा-1, त्वचा रोग-1, मनोरोग-1, पैथोलॉजी/माइक्रोबायोलॉजी/बायोकेमिस्ट्री-1)	18*(2025) * कार्यभार के आधार पर इसमें बदलाव संभव है।	समूह 'ए'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11	पदोन्नति के मामले में चयन	45 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार, 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधि: चाहे सीधी भर्ती हो, या पदोन्नति द्वारा, अथवा समायोजन द्वारा; तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
7	8	9	10
आवश्यक: 1. एक मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता, जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के भाग I या II या भाग II में शामिल हो। तीसरी अनुसूची के भाग-II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13(3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा। 2. संबंधित विशेषज्ञता या सुपर-विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री या	आयु: नहीं शैक्षिक योग्यता: हाँ	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष।	पदोन्नति द्वारा, यदि यह संभव न हो, तो प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा और यदि ये दोनों भी संभव न हों, तो सीधी भर्ती द्वारा।

डिप्लोमा। 3. पहली स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता या सुपर-विशेषज्ञता में तीन वर्ष का अनुभव, या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष का अनुभव। 4. उम्मीदवार का केंद्रीय/राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य है।			
--	--	--	--

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
11	12	13
पदोन्नति: पे लेवल 10 में 05 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास ऊपर कॉलम 7 में उल्लिखित आवश्यक योग्यता और अनुभव है। प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त संगठनों/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: क. 1. मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करना; या 2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा के साथ, और ख. कॉलम 7 में बताए गए सीधे भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित उचित योग्यता और अनुभव होना चाहिए। नोट: प्रतिनियुक्ति (ISTC) की अवधि—जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में, इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य एक्स-कैडर पद पर की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है—आमतौर पर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (ISTC) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	1. संयुक्त सचिव (अस्पताल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार - अध्यक्ष 2. उप सचिव (अस्पताल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य 3. उप सचिव, डी.पी. और ए.आर. मिजोरम सरकार - सदस्य 4. संबंधित विषय का एक सह-विकल्पित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. SC/ST का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सह-विकल्पित सदस्य - सदस्य* 6. निदेशक, आरआईपीएनएस - सदस्य सचिव (*निदेशक, आरआईपीएनएस द्वारा नामित किया जाएगा)	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
चिकित्सा अधिकारी	12*(2025) * कार्यभार के आधार पर इसमें परिवर्तन संभव है	समूह 'ए'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10	लागू नहीं	40 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार, 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधि: चाहे सीधी भर्ती हो, या पदोन्नति द्वारा, अथवा समायोजन द्वारा; तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
7	8	9	10
1. इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की तीसरी अनुसूची के शेड्यूल I या II या भाग II में शामिल, MBBS की मान्यता प्राप्त डिग्री योग्यता। तीसरी अनुसूची के भाग-II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 (1956 का 102) की धारा 13(3) में बताई गई शर्तों को भी पूरा करना होगा। 2. अनिवार्य रोटेटिंग इंटरनशिप पूरी होना चाहिए; जिन उम्मीदवारों ने रोटेटिंग इंटरनशिप पूरी नहीं की है, वे लिखित परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, बशर्ते कि, यदि उनका चयन हो जाता है, तो उन्हें नियुक्ति से पहले अनिवार्य इंटरनशिप संतोषजनक ढंग से पूरी करनी होगी। 3. उम्मीदवार का सेंट्रल/स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

वांछनीय: किसी अस्पताल में तीन साल का अनुभव।			
---	--	--	--

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
11	12	13
लागू नहीं	1. संयुक्त सचिव (अस्पताल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार -अध्यक्ष 2. उप सचिव (अस्पताल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य 3. उप सचिव, डी.पी. और ए.आर., मिज़ोरम सरकार - सदस्य 4. संबंधित विषय का एक सह-विकल्पित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. SC/ST का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सह-विकल्पित सदस्य - सदस्य* 6. निदेशक, आरआईपीएनएस - सदस्य सचिव (*आरआईपीएनएस के निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा)	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	02*(2025) *कार्यभार के आधार पर इसमें बदलाव संभव है।	समूह 'बी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8	पदोन्नति के मामले में चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधि: चाहे सीधी भर्ती हो, या पदोन्नति द्वारा, अथवा समायोजन द्वारा; तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, और यदि यह संभव न हो तो प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध - ISTC भी शामिल है)।

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
11	12	13
पदोन्नति: पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में नर्सिंग ऑफिसर, इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ। प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों / स्वायत्त संगठनों / सांविधिक निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: A. 1. मूल कैडर / विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत हों, या 2. मूल कैडर / विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 7 या समकक्ष स्तर पर नियमित नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा पूरी की हो, और B. निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता रखते हों: 1. इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान / विश्वविद्यालय से बी.एससी. नर्सिंग। या इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान / विश्वविद्यालय से बी.एससी. (पोस्ट-सर्टिफिकेट) या समकक्ष, जैसे बी.एससी. नर्सिंग (पोस्ट बेसिक)। 2. इंडियन नर्सिंग काउंसिल / राज्य नर्सिंग काउंसिल में नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत हों, और उनके पास वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। नोट: प्रतिनियुक्ति (ISTC) की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (ISTC) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	1. निदेशक, आरआईपीएनएस - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक का प्रतिनिधि – सदस्य (लाभार्थी राज्यों से), जिनका पद उप-निदेशक से कम न हो (बारी-बारी से)। 3. संयुक्त सचिव का प्रतिनिधि – सदस्य (अस्पताल) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, जिनका पद अवर सचिव से कम न हो। 4. संबंधित विषय का एक सह-विकल्पित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. SC/ST का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सह-विकल्पित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, आरआईपीएनएस - सदस्य सचिव (*आरआईपीएनएस के निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा)	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
नर्सिंग अधिकारी	45*(2025) *कार्यभार के आधार पर इसमें बदलाव संभव है।	समूह 'बी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार, 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधि: चाहे सीधी भर्ती हो, या पदोन्नति द्वारा, अथवा समायोजन द्वारा; तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
7	8	9	10
<u>अनिवार्य:</u> 1. इंडियन नर्सिंग काउंसिल/स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या विश्वविद्यालय से बी.एससी. (ऑनर्स) नर्सिंग या बी.एससी. नर्सिंग। या इंडियन नर्सिंग काउंसिल/स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/विश्वविद्यालय से बी.एससी. (पोस्ट-सर्टिफिकेट) या इसके समकक्ष, जैसे बी.एससी. नर्सिंग (पोस्ट बेसिक)। या इंडियन नर्सिंग काउंसिल/स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/बोर्ड या काउंसिल से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा, और यह शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम 50 विस्तारों वाले अस्पताल में 2 वर्ष का अनुभव। 2. इंडियन नर्सिंग काउंसिल/स्टेट नर्सिंग काउंसिल में नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

होना चाहिए, और उनके पास वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।			
---	--	--	--

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
11	12	13
लागू नहीं	- निदेशक, आरआईपीएनएस - अध्यक्ष - स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक का प्रतिनिधि - सदस्य (लाभार्थी राज्यों से), जिनका पद उप-निदेशक से कम न हो (बारी-बारी से)। - संयुक्त सचिव का प्रतिनिधि - सदस्य (अस्पताल) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, जिनका पद अवर सचिव से कम न हो। - संबंधित विषय का एक सह-विकल्पित विशेषज्ञ - सदस्य* - SC/ST का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सह-विकल्पित सदस्य - सदस्य* - प्रशासनिक अधिकारी, आरआईपीएनएस - सदस्य सचिव (*आरआईपीएनएस के निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा)	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
बायोमेडिकल इंजीनियर	01*(2025) * कार्यभार के आधार पर इसमें बदलाव संभव है।	समूह 'ए'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार, 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि: चाहे सीधी भर्ती हो, या पदोन्नति द्वारा, अथवा समायोजन द्वारा; तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.टेक / बी.ई. या बायोमेडिकल	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।			
2. किसी अस्पताल/चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा उपकरणों की स्थापना और रखरखाव के संबंधित क्षेत्र में तीन (3) वर्षों का अनुभव।			

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
11	12	13
लागू नहीं	1. संयुक्त सचिव (अस्पताल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार -अध्यक्ष 2. उप सचिव (अस्पताल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य 3. उप सचिव, डी.पी. और ए.आर., मिज़ोरम सरकार - सदस्य 4. संबंधित विषय का एक सह-विकल्पित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. SC/ST का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सह-विकल्पित सदस्य - सदस्य* 6. निदेशक, आरआईपीएनएस - सदस्य सचिव (*आरआईपीएनएस के निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा)	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ लेखा अधिकारी	02*(2025) * कार्यभार के आधार पर इसमें परिवर्तन संभव है।	समूह 'बी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार, 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि: चाहे सीधी भर्ती हो, या पदोन्नति द्वारा, अथवा समायोजन द्वारा; तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
अनिवार्य: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री। 2. किसी सरकारी कार्यालय/PSU/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय में नकद, लेखा और बजट कार्य में 2 (दो) वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
11	12	13
लागू नहीं	1. निदेशक, आरआईपीएनएस - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक का प्रतिनिधि - सदस्य (लाभार्थी राज्यों से), जिनका पद उप-निदेशक से कम न हो (बारी-बारी से)। 3. संयुक्त सचिव का प्रतिनिधि - सदस्य (अस्पताल) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, जिनका पद अवर सचिव से कम न हो। 4. संबंधित विषय का एक सह-विकल्पित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. SC/ST का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सह-विकल्पित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, आरआईपीएनएस - सदस्य सचिव (*आरआईपीएनएस के निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा)	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सीएसएसडी सहायक ग्रेड - I	1*(2025) * कार्यभार के आधार पर इसमें बदलाव संभव है।	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4	पदोन्नति के मामले में चयन न होना। सीधी भर्ती के मामले में लागू	8 से 30 वर्ष के बीच। केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार, विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में

				नहीं।	40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है
--	--	--	--	-------	---------------------------------

सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि: चाहे सीधी भर्ती हो, या पदोन्नति द्वारा, अथवा समायोजन द्वारा; तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
अनिवार्य: बी.एससी. माइक्रोबायोलॉजी या फार्माकोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी (माइक्रोबायोलॉजी) के साथ किसी अस्पताल या फार्मास्युटिकल यूनिट के सीएसएसडी में या अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में 1 वर्ष का अनुभव। या i. ऑपरेशन थिएटर / सीएसएसडी में 1 वर्ष के अनुभव के साथ नर्सिंग ऑफिसर। ii. इंडियन नर्सिंग काउंसिल / स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ पंजीकृत होना चाहिए। या थिएटर असिस्टेंट कोर्स या सीएसएसडी डिप्लोमा कोर्स के साथ किसी अस्पताल के सीएसएसडी या ऑपरेशन थिएटर में 2 वर्ष का अनुभव। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास, और किसी भी अस्पताल के सीएसएसडी, ऑपरेशन थिएटर और ब्लड बैंक में 3 वर्ष का अनुभव।	नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
11	12	13
पदोन्नति: पे मैट्रिक्स के लेवल 2	1. निदेशक, आरआईपीएनएस - अध्यक्ष	लागू नहीं

में सीएसएसडी सहायक ग्रेड-II, इस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ।	2. स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक का प्रतिनिधि – सदस्य (लाभार्थी राज्यों से), जिनका पद उप-निदेशक से कम न हो (बारी-बारी से)। 3. संयुक्त सचिव का प्रतिनिधि – सदस्य (अस्पताल) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, जिनका पद अवर सचिव से कम न हो। 4. संबंधित विषय का एक सह-विकल्पित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. SC/ST का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सह-विकल्पित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, आरआईपीएनएस - सदस्य सचिव (*आरआईपीएनएस के निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा)	
--	--	--

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सीएसएसडी सहायक ग्रेड - II	1*(2025) * कार्यभार के आधार पर इसमें बदलाव संभव है।	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2	लागू नहीं	18 से 30 वर्ष के बीच। केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार, विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि: चाहे सीधी भर्ती हो, या पदोन्नति द्वारा, अथवा समायोजन द्वारा; तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
अनिवार्य: थिएटर असिस्टेंट कोर्स या सीएसएसडी डिप्लोमा कोर्स, जिसके साथ किसी भी अस्पताल के सीएसएसडी या ऑपरेशन थिएटर में 1 वर्ष का अनुभव हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

उत्तीर्ण, जिसके साथ किसी भी अस्पताल के सीएसएसडी, ऑपरेशन थिएटर और ब्लड बैंक में 1 वर्ष का अनुभव हो।			
--	--	--	--

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
11	12	13
लागू नहीं	- निदेशक, आरआईपीएनएस - अध्यक्ष - स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक का प्रतिनिधि - सदस्य (लाभार्थी राज्यों से), जिनका पद उप-निदेशक से कम न हो (वारी-वारी से)। - संयुक्त सचिव का प्रतिनिधि - सदस्य (अस्पताल) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, जिनका पद अवर सचिव से कम न हो। - संबंधित विषय का एक सह-विकल्पित विशेषज्ञ - सदस्य* - SC/ST का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सह-विकल्पित सदस्य - सदस्य* - प्रशासनिक अधिकारी, आरआईपीएनएस - सदस्य सचिव (*आरआईपीएनएस के निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा)	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
ओटी टेक्नोलॉजिस्ट	3*(2025) * काम के बोझ के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है।	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4	लागू नहीं	8 से 30 वर्ष के बीच। केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार, विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि: चाहे सीधी भर्ती हो, या पदोन्नति द्वारा, अथवा समायोजन द्वारा; तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
मानव विज्ञान या जीव विज्ञान या मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर कोर्स में बी.एससी. या इसके समकक्ष या बी.एससी. (थिएटर टेक्नोलॉजी) या इसके समकक्ष, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से आईसीयू, मैनिफोल्ड रूम और सीएसएसडी में प्रशिक्षण शामिल हो। या (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से विज्ञान विषय में (भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल, संस्थान या विश्वविद्यालय से (जहाँ सर्जिकल सुविधाएँ उपलब्ध हों) ऑपरेशन थिएटर कोर्स में डिप्लोमा; या किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल, संस्थान या विश्वविद्यालय से (जहाँ सर्जिकल सुविधाएँ उपलब्ध हों) ऑपरेशन थिएटर में एक वर्षीय प्रमाणपत्र कोर्स; और किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान में संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
11	12	13
लागू नहीं	- निदेशक, आरआईपीएनएस - अध्यक्ष - स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक का प्रतिनिधि - सदस्य (लाभार्थी राज्यों से), जिनका पद उप-निदेशक से कम न हो (बारी-बारी से)। - संयुक्त सचिव का प्रतिनिधि - सदस्य (अस्पताल) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत	लागू नहीं

	सरकार, जिनका पद अवर सचिव से कम न हो। 4. संबंधित विषय का एक सह-विकल्पित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. SC/ST का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सह-विकल्पित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, आरआईपीएनएस - सदस्य सचिव (*आरआईपीएनएस के निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा)	
--	---	--

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
फार्मेसिस्ट	2*(2025) * कार्यभार के आधार पर इसमें बदलाव संभव है।	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच। विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा, केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार, 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि: चाहे सीधी भर्ती हो, या पदोन्नति द्वारा, अथवा समायोजन द्वारा; तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
आवश्यक: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा (डी.फार्म) या फार्मेसी में स्नातक (बी.फार्म) या फार्मेसी में डॉक्टर (फार्म.डी)। 2. फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत एक पंजीकृत फार्मासिस्ट होना चाहिए। वांछनीय: खुदरा फार्मेसी/थोक फार्मेसी में तीन (3) वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
11	12	13
लागू नहीं	- निदेशक, आरआईपीएनएस - अध्यक्ष - स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक का प्रतिनिधि - सदस्य (लाभार्थी राज्यों से), जिनका पद उप-निदेशक से कम न हो (बारी-बारी से)। - संयुक्त सचिव का प्रतिनिधि - सदस्य (अस्पताल) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, जिनका पद अवर सचिव से कम न हो। - संबंधित विषय का एक सह-विकल्पित विशेषज्ञ - सदस्य* - SC/ST का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सह-विकल्पित सदस्य - सदस्य* - प्रशासनिक अधिकारी, आरआईपीएनएस - सदस्य सचिव (*आरआईपीएनएस के निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा)	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
डाइटीशियन	1*(2025) * कार्यभार के आधार पर इसमें बदलाव संभव है।	समूह 'बी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार, 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि: चाहे सीधी भर्ती हो, या पदोन्नति द्वारा, अथवा समायोजन द्वारा; तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
आवश्यक योग्यताएँ: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं पोषण या गृह विज्ञान में एम.एससी., अथवा एम.एससी. क्लिनिकल न्यूट्रिशन एवं डायटेटिक्स, अथवा एम.एससी. स्नातक	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

सेवा प्रबंधन एवं डायटेटिक्स। 2. किसी अस्पताल में डाइटीशियन के रूप में तीन (3) वर्षों का अनुभव। 3. संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों के लिए राज्य/राष्ट्रीय आयोग (NCAHP) के साथ पंजीकृत। अथवा 1. खाद्य एवं पोषण, गृह विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, नर्सिंग, एमबीबीएस या बी.फार्म में बी.एससी. 2. डाइटीटिक्स और न्यूट्रिशन में पीजी डिप्लोमा 3. किसी अस्पताल में डाइटीशियन के रूप में तीन (3) वर्षों का अनुभव। 4. संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों के लिए राज्य/राष्ट्रीय आयोग (NCAHP) के साथ पंजीकृत।			
---	--	--	--

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
11	12	13
लागू नहीं	1. निदेशक, आरआईपीएनएस - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक का प्रतिनिधि - सदस्य (लाभार्थी राज्यों से), जिनका पद उप-निदेशक से कम न हो (बारी-बारी से)। 3. संयुक्त सचिव का प्रतिनिधि - सदस्य (अस्पताल) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, जिनका पद अवर सचिव से कम न हो। 4. संबंधित विषय का एक सह-विकल्पित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. SC/ST का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सह-विकल्पित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, आरआईपीएनएस - सदस्य सचिव (*आरआईपीएनएस के निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा)	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
फिजियोथेरेपिस्ट	1*(2025) * कार्यभार के आधार पर इसमें बदलाव संभव है।	समूह 'बी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार, 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि: चाहे सीधी भर्ती हो, या पदोन्नति द्वारा, अथवा समायोजन द्वारा; तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
आवश्यक योग्यताएँ: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में स्नातक की डिग्री (BPT) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा, जिसके साथ किसी अस्पताल में 3 वर्ष का अनुभव हो। 2. एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए राज्य/राष्ट्रीय आयोग (NCAHP) के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। वांछनीय अनुभव: फिजियोथेरेपी में स्नातक की डिग्री के बाद दो वर्ष, अथवा डिप्लोमा के बाद 5 वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या समायोजन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
11	12	13
लागू नहीं	1. निदेशक, आरआईपीएनएस - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक का प्रतिनिधि - सदस्य (लाभार्थी राज्यों से), जिनका पद उप-निदेशक से कम न हो (बारी-बारी से)। 3. संयुक्त सचिव का प्रतिनिधि - सदस्य (अस्पताल) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, जिनका पद अवर सचिव से कम न हो। 4. संबंधित विषय का एक सह-विकल्पित विशेषज्ञ - सदस्य* 5. SC/ST का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सह-विकल्पित सदस्य - सदस्य* 6. प्रशासनिक अधिकारी, आरआईपीएनएस - सदस्य सचिव (*आरआईपीएनएस के निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा)	लागू नहीं

डॉ. संजय डी. सावंत, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./85/2026-27]

REGIONAL INSTITUTE OF PARAMEDICAL AND NURSING SCIENCES NOTIFICATION

Aizawl, the 24th April, 2026

F. No.A.12032/1/2026-Estt/RIPANS/12.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and as approved by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India vide Letter F.No.U-12012/08/2025-H-III dated 16.01.2026, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment in Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, an Autonomous Institute under the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, to the following Group A,B and C posts namely :-

Sl.No	Name of Post
1.	Medical Superintendent
2.	Specialist Doctors
3.	Medical Officer
4.	Senior Nursing Officer
5.	Nursing Officer
6.	Bio-Medical Engineer
7.	Junior Accounts Officer
8.	CSSD Assistant Grade-I
9.	CSSD Assistant Grade-I
10.	OT Technologist
11.	Pharmacist
12.	Dietician
13.	Physiotherapist

1. Short Title and commencement: -

- 1.1. These rules may be called the Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, Mizoram, Group A, B and C posts Recruitment Rules, 2026.

- 1.2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The number of posts, classification and level in the Pay Matrix: -

The number of the said posts, its classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, other qualifications, etc:

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in column 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification: -

No person:

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that RIPANS may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Interpretation: -

Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to Appointing Authority whose decision shall be final.

6. Power to relax: -

Where the duly constituted Selection Committee of RIPANS is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of posts mentioned in Schedule. This will be subject to acceptance of the Appointing Authority.

7. Saving: -

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-

Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Medical Superintendent	01*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level 13 in the Pay Matrix	Selection in case of promotion	Preferably below 50 years. Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Educational qualification: 1. A recognized MBBS degree qualification included in Scheduled I or II or part II of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Persons possessing qualifications included in Part-II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). 2. A Post Graduate qualification i.e. MD/MS or a recognized qualification equivalent thereto in any Medical Discipline. 3. The candidate must have valid registration with the Central/ State Medical Council. Desirable: Master's in Hospital Administration from a recognized	Age: No Educational qualification: Yes	1 year for direct recruit.	By promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.

Institution/ University or a recognized qualification equivalent thereto. Experience: 10 years' teaching and/or research experience after obtaining the Post Graduate qualification in the speciality out of which 3 years should be in Hospital Administration after obtaining PG Degree.			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Specialist doctors with 10 years' regular service in Pay Level 11 having requisite qualification and experience as in column 7 above. Deputation: Officers of Central Government/ State Governments/Union Territories/ Autonomous organizations/ Statutory bodies/ Public Sector Undertaking/University/recognized Research Institution: A. 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or 2. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 12 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; or 3. with 10 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 11 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department and B. Possessing appropriate qualifications and experience prescribed for direct recruits mentioned at column 7. Note: Period of deputation (ISTC) including period of deputation spent in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	1. Director General of Health Services - Chairman 2. Representative nominated by Secretary (Health & Family Welfare) not below the rank of Jt. Secretary - Member 3. A representative Central Health Service (CHS) not below the rank of Medical Superintendent* - Member 4. One co-opted member representing SC/ST not below the rank of Professor* - Member 5. Two experts in the subject concerned* - Member 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Specialist Doctors (Medicine-2, Surgery-2, Paediatrics-2, OBGY-2, Anaesthesiology & Critical care-2, Ophthalmology-1, Orthopaedics-1, Radiology-1, ENT-1, Dentistry-1, Dermatology-1, Psychiatry-1 Pathology/Microbiology/Biochemistry-1)	18*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level 11 in the Pay Matrix	Selection in case of promotion	Not exceeding 45 years. Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Essential: 1. A recognized MBBS degree qualification included in Scheduled I or II or part II of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Persons possessing qualifications included in Part-II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). 2. Post Graduate Degree or Diploma in the concerned Speciality or Super-Specialty. 3. Three years' experience in the concerned Speciality or super-speciality after obtaining the first Post-graduate degree or 5 years' experience after obtaining the Post-graduate Diploma. 4. The candidate must be registered with the Central/ State Medical Council.	Age: No Educational qualification: Yes	2 years for direct recruit.	By promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Medical Officers with 05 years' regular service in Pay Level 10 having requisite qualification and experience as in column 7 above. Deputation: Officers of Central Government/ State Governments/Union Territories/ Autonomous organizations/ Statutory bodies/ Public Sector Undertaking/University/recognized Research Institution: A. 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or 2. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 10 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department, and B. Possessing appropriate qualifications and experience prescribed for direct recruits mentioned at column 7. Note: Period of deputation (ISTC) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	1. Jt. Secy (Hospital), Min of H&FW GoI- Chairman 2. Deputy Secy (Hospital) - Member to GoI Min. of H&FW 3. Dy.Secy, DP &AR, Govt. of - Member Mizoram. 4. One co-opted expert in the - Member* subject concerned 5. One co-opted member - Member* representing SC/ST 6. Director, RIPANS. - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Medical Officer	12*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level 10 in the Pay Matrix	Not applicable.	Not exceeding 40 years. Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Governmen

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
1. A recognized MBBS degree qualification included in Scheduled I or II or part II of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Persons possessing qualifications included in Part-II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). 2. Completion of compulsory rotating internship, candidates who may not have completed rotating internships shall be eligible to appear for the written examination provided that, if selected, they shall have satisfactorily completed the compulsory internship before appointment. 3. The candidate must be registered with the Central/ State Medical Council. Desirable: Three years of experience in a Hospital.	Not Applicable.	2 years for direct recruit.	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	1. Jt. Secy (Hospital), Min of H&FW GoI - Chairman 2. Deputy Secy (Hospital) to GoI Min. of H&FW - Member 3. Dy.Secy, DP &AR, Govt. of Mizoram. - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Director, RIPANS. Secy. - Member (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Senior Nursing Officer	02*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 8 in the Pay Matrix	Selection in case of promotion.	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation including short term contract (ISTC).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Nursing Officer in Level 7 in the Pay Matrix with 5 years of regular service in the Grade. Deputation: Officers of the Central Government / State Governments / Union Territories / Autonomous Organizations / Statutory bodies / Public Sector Undertaking / University / Recognized Research Institution: A. 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre / department or 2. With 5 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 7 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department and B. Possessing the following educational qualification: 1. B.Sc. Nursing from an Indian Nursing Council recognized Institute / University.	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

OR B.Sc. (Post-certificate) or equivalent such as B.Sc Nursing (Post Basic) from an Indian Nursing Council recognized Institute / University 2. Should be registered as Nurses & Midwife with the Indian Nursing Council / State Nursing Council with valid Registration Certificate. Note: The period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		
---	--	--

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Nursing Officer	45*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 7 in the Pay Matrix	Not applicable.	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Essential: 1. B.Sc. (Hons.) Nursing or B.Sc Nursing from an Indian Nursing Council/State Nursing Council recognized Institute or University. OR B.Sc (Post-Certificate) or equivalent such as B.Sc. Nursing (Post Basic) from an Indian Nursing Council / State Nursing Council recognized Institute/ University. OR Diploma in General Nursing Midwifery from an Indian Nursing Council / State Nursing Council recognized Institute / Board or Council with 2 years' experience in minimum 50 bedded Hospital after acquiring the educational qualification	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

2. Should be registered as Nurses & Midwife with the Indian Nursing Council / State Nursing Council with valid Registration Certificate.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject - Member* concerned 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Bio Medical Engineer	01*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level 10 in the Pay Matrix	Not applicable.	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
3. B.Tech/B.E. in Electronics or Bachelor's Degree in Bio Medical Engineering from a recognized University. 4. Three (3) years' experience in a relevant field in a	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

Hospital/Medical Institute in installation and maintenance of medical equipment			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable	1. Jt. Secy (Hospital), Min of H&FW - Chairman 2. Deputy Secy (Hospital) - Member to GoI Min. of H&FW 3. Dy.Secy, DP &AR, Govt. of Mizoram - Member 4. One co-opted expert in the Subject Concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Director, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Junior Accounts Officer	02*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 6 in the Pay Matrix	Not applicable.	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Essential: 1. Degree from a recognized University/Institute. 2. 2 (two) years' experience in Cash, Accounts and Budget work in a Government Office/ PSU/ Autonomous Body/ Statutory Body.	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable.	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
CSSD Assistant Grade - I	1*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Level 4 in the Pay Matrix	Non-Selection in case of promotion. Not applicable in case of direct recruitment.	Between 18 and 30 years. The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Essential: B.Sc Microbiology or Pharmacology or Medical Technology (Microbiology) with 1 year' experience in CSSD of a Hospital or Pharmaceutical Unit or Operation Theatre in a Hospital. OR i. Nursing Officer with 1 year'	No	2 years for direct recruit.	By promotion failing which by direct recruitment.

experience in Operation Theatre / CSSD. ii. Should be registered with the Indian Nursing Council / State Nursing Council OR Theatre Assistant Course or CSSD Diploma Course with 2 years' experience in CSSD or Operation Theatre in a Hospital. OR 12th with Science from a recognized University / Board with 3 years' experience in CSSD Operation Theatre and Blood Bank in any hospital.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: CSSD Assistant Grade-II in Level 2 of the Pay Matrix with eight years' regular service in the Grade.	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation) - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject - Member* concerned 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
CSSD Assistant Grade - II	1*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Level 2 in the Pay Matrix	Not applicable.	Between 18 and 30 years. The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Essential: Theatre Assistant Course or CSSD Diploma Course with 1 year' experience in CSSD or Operation Theatre in any Hospital. OR 12th with Science from a recognized University / Board with 1 year' experience in CSSD Operation Theatre and Blood Bank in any hospital	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable.	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject - Member* concerned 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
OT Technologist	3*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Level 4 in the Pay Matrix	Not applicable.	Between 18 and 30 years. The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
B.Sc in Human Science or Life Science or Medical Technology Operation Theatre Course or Equivalent OR B.Sc. (Theatre Technology) or equivalent including training in ICU, Manifold Room and CSSD from a recognized Institution / University. OR (i) 12th class pass in Science with Physics, Chemistry and Biology from a recognised Board or institute; and (ii) Diploma in Operation Theatre course from a recognised hospital or institute or university having surgical facilities, or One year certificate course in Operation Theatre from a recognised hospital or institute or university having surgical facilities; and one year experience in relevant field from a recognised hospital or institute.	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable.	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Pharmacist	2*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Level 5 in the Pay Matrix	Not applicable.	Between 18 and 27 years. The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Essential: 1. Diploma in Pharmacy (D.Pharm) or Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) or Doctor of Pharmacy (Pharm.D) from a recognized University/Institution. 2. Should be a registered Pharmacist under Pharmacy Act 1948 Desirable: Three (3) years' experience in retail Pharmacy/Wholesale Pharmacy.	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable.	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject - Member* concerned 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Dietitian	1*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 7 in the Pay Matrix	Not applicable.	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Essential: 1. M.Sc. in Food & Nutrition or Home Science or M.Sc. Clinical Nutrition & Dietetics or M.Sc. Food Service Management & Dietetics from a recognized University 2. Three (3) Years experience as Dietician in a hospital. 3. Registered with State/National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP). OR 1. B.Sc. in Food & Nutrition or Home Science or Microbiology or Biochemistry or Life Science or Nursing or MBBS or B.Pharm 2. PG Diploma in Dietetics & Nutrition 3. Three (3) Years experience as Dietician in a hospital. 4. Registered with State/National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP).	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable.	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). - Member 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject - Member* concerned 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Physiotherapist	1*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 6 in the Pay Matrix	Not applicable.	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Essential: 1. Bachelor's Degree in Physiotherapy (BPT) from a recognised University OR Diploma in Physiotherapy from a recognised University with 3 years' experience in a Hospital 2. Registered with State/National Commission for Allied and Healthcare Professions	Not applicable	2 years for direct recruit.	By direct recruitment.

(NCAHP). Desirable Experience: Two years after Bachelor's Degree or 5 years after Diploma in Physiotherapy.			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable.	1. Director, RIPANS - Chairman 2. Representative of Director of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation). 3. Representative of Jt. Secy. (Hospital) MH&FW, GoI not below the rank of Under Secy. - Member 4. One co-opted expert in the subject - Member* concerned 5. One co-opted member representing SC/ST - Member.* 6. Administrative Officer, RIPANS - Member Secy. (*To be nominated by Director, RIPANS)	Not applicable.

SANJAY D. SAWANT, Director

[ADVT.-III/4/Exty./85/2026-27]